


२२.०८.२५

पत्रावली वैशा हुई। वकील अभ्यक्ष उपस्थित।
वकील अप्रार्थी को बार-बार अवसर देने पर भी
जवाब प्राप्ति वैशा नहीं किया है। अतः अप्रार्थी
का जवाब बन्द किया जाता है। वकील प्रार्थी
को सुना गया। पत्रावली का अलौकन किया
गया। बक्ष पर मनन करने पर प्रार्थी का
— लगातार

फर्द अहकाम

तारीख	आदेश का विवरण मय अधिकारी के लघु हस्ताक्षर	आदेश की पालना में की गई कार्यवाही
	<p>प्राप्त स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर संलग्न किया गया। प्रकृति काड तरीके तकमिल होकर दाखिल दफ्तर है।</p> <p>निर्णय लिखा जाकर तुलने न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p></p> <p>(सुनीलकुमार-चौहान) RAS</p>	